रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2011/वैशाख 21, 1933
No. 100] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2011/VAISAKHA 21, 1933

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मई, 2011

सं. टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा नव मंगलूर पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता की अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी

आदेश

(मई, 2011 के दूसरे दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने नव मंगलूर पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान को दिनांक 11 मई, 2006 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी के माध्यम से पिछली बार अनुमोदित किया था और 31 मार्च, 2009 तक वैधता निर्धारित की गई थी ।

2. दिनांक 31 मार्च, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी के माध्यम से प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2010 तक बढ़ायी गयी है ।

3. नियमित रूप से अनुवर्तन करने के बाद, अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2010 के माध्यम से एसओआर संशोधन के लिए एनएमपीटी ने अपना प्रस्ताव दाखिल किया जिसे प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है और परामर्श के लिए रखा गया है । चूँकि पत्तन ने अपने प्रस्ताव के साथ उप-कार्यकलापवार लागत विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया था । पत्तन को इन सभी विवरण को प्रस्तुत करने के लिए सलाह दिया गया था । इस संबंध में अनेक अनुस्मारकें भी भेजे गए । पत्तन की प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है । प्रस्ताव की प्रारंभिक संवीक्षा के उपरांत ही संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई का गठन किया जा सकता है । पत्तन के द्वारा बुनियादी सूचना की पूर्ति न होने के कारण संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई को अस्थगित किया गया है ।

4. पत्तन की ओर से आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने में विलम्ब की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं प्रस्ताव परीक्षण के लिए, वैधानिक या कानूनी कार्यवाही में लगने वाले अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए, यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता की समाप्त तिथि से 30 सितम्बर, 2011 तक अथवा दरमान संशोधन के प्रस्ताव पर अंतिम निपटान, इसमें से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाता है ।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 1 अप्रैल, 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा ।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/11-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th May, 2011

No. TAMP/42/2005-NMPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Mumbai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/42/2005-NMPT

ORDER

(Passed on this 2nd day of May, 2011)

The existing Scale of Rates (SOR) of the New Mangalore Port Trust (NMPT) was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/42/2005-NMPT, dated 11th May, 2006 and the validity was prescribed till 31st March, 2009.

2. The validity of the existing Scale of Rates has been extended till 30th September, 2010 *vide* Order No. TAMP/42/2005-NMPT, dated 31st March, 2010.

3. After regular follow up, the NMPT filed its proposal for revision of the SOR *vide* its letter dated 30th September, 2010 which has been registered as tariff case and taken on consultation. Since the port had not filed sub-activity wise cost statements along with its proposal, the port has been advised to file these statements followed by several reminders. The response of the port is awaited. A joint hearing in the case can be set up only after preliminary scrutiny of the proposal, which is held up for want of supply of basic information by the Port.

4. In view of the delay on part of the Port to respond to furnish the requisite information and recognising the time required for examination of the proposal, this Authority extends the validity of the existing SOR from the date of its expiry till 30th September, 2011 or till final disposal of the proposal for revision of its SOR, whichever is earlier.

5. If any surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April, 2009, during the review of its performance, such surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/143/11/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.